न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रं.------/2011--12 पुनरीक्षण — R 3006 I/12

उदय सिंह तनय स्व. हनुमंत सिंह

निवासी ग्राम नयागांव गाद्री

तहसील--दतिया जिला--दतिया

विरूद्ध

1 कृपाल सिंह तनय फतेह सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम--सेमई तहसील--दतिया

जिला--दतिया

2 मध्यप्रदेश शासन

आज दि. 10/9/12

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तहसीलदार दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ--19/1990--91 में पारित आदेश दिनांक 24--7--1991 सहपठित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 72/2011--12 में पारित ओदश दिनांक 14--8--2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है--

प्रकरण के तथ्य

1. ग्राम--गाद्री तहसील--दतिया की भूमि सर्वे क्रमांक--2 शासकीय भूमि है जिसका कुछ क्षेत्रफल 11.453 हेक्टेयर है. इस भूमि में से दो हेक्टेयर के भूखण्ड के व्यवस्थापन हेतु अनावेदक द्वारा म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान्त किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया. अनावेदक का अभिकथन था कि उसका वर्ष 1984 से अतिक्रमण चला आ रहा है.

2. अनावेदक के उक्त अधिनिमय के अंतर्गत भूमि के व्यवस्थापन की पात्रता नहीं थी. अनावेदक--1 न तो कृषि श्रमिकथा, न ही ग्राम गाद्री का निवासी था. अनावेदक--1 का दिनांक 2--10--1984 अथवा उसके पूर्व राजस्व अभिलेखों में आधिपत्य की प्रविष्टि नहीं थी तथा अनावेदक के परिवार में पूर्व से ही 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि थी. तहसील न्यायालय में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3006–एक / 2012 जिला–दतिया

उदय सिंह विरूद्ध कृपाल सिंह व मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 12 / अ–19 / 1990–91 में पारित आदेश दिनांक 24–07–1991 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	